

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राज कुमार गुप्ता पिता-स्व. बैजनाथ प्रसाद ग्राम-झाउगंज गुरुद्वारा पो०-झाउगंज थाना-चौक जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	हस्मत आरा पति-स्व. मो० मोनीर ग्राम-खेतारी मोहल्ला पो०-आरा थाना-टाउन जिला-भोजपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	शिवम कुमार पिता-राम प्रवेश साह ग्राम-नारीकला पो०-नारीखुर्द थाना-तीसीयौता जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	रुबी सिंह पति-आलोक सिंह ग्राम+पो०-बड़का गांव थाना-भगवानपुर हाट जिला-सीवान	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	हीरा देवी पति-बालदेव सिंह ग्राम-हल्दी छपरा पुराना टोला पो० रामनगर मनेर थाना-मनेर जिला पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

20/1/16  
11/2/16

6	हरीहर महतो पिता-मंगल महतो ग्राम-मुरतोजीगंज, पानी टंकी पो0-पटना सिटी थाना-मेंहदीगंज जिला पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	धनराजो देवी पति-बालेश्वर पासवान ग्राम-लोदीपुर लखराज पो0-जावज, थाना-महनार जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
8	जयश्री देवी पति-भोला प्रसाद ग्राम-बांस कोठी पो0+थाना-दीघा जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,80,000 /-( चार लाख अस्सी हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 579124 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **5020 418 8262** खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 579124 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक - 118 (14)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/2/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चंदन कुमार पिता-राजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-नया टोला ठाडा पो०-हरदा थाना-के० हाट जिला-पूर्णिया ओ०पी०डी-162469	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-( साठ हजार) स्वीकृत।
2	सपना कुमारी पिता-स्व. संजय कुमार दुबे ग्राम-तेतरी पो०+थाना-सासाराम जिला-रोहतास इभलोक नं०-734564	शल्य चिकित्सा रोग	₹ 50,000 /-( पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,10,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,10,000 /-( एक लाख दस हजार ) मात्र का क्रास चेक सं०...509982 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह० /

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 116 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एड रि सर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्द्रदेव सिंह पिता-स्व. डोमन सिंह ग्राम-कुम्हार टोली पो०+थाना-मसौढ़ी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	यदु नन्दन प्रसाद पिता-स्व. प्रयाग महतो ग्राम-नादरागंज मल्लाह टोली गया, पो०-जिला-गया थाना-सिविल लाईन	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	राम वशिष्ठ सिंह पिता-स्व. शिवनाथ सिंह ग्राम-पो०-डंगरी थाना-कुदरा जिला-भभुआ, कैमुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	जीउत पाठक पिता-खेदु पाठक ग्राम-जासो पो०+थाना+जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	फखरे आलम पिता-मो० इलियास ग्राम-जानकीपुर पो०-हासी केवल थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	मो० नुर हसन पिता-स्व. नसरुद्दीन ग्राम-टेहटी, पो०-शीलहौड़ी थाना-मढ़ौरा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

31/1/16  
1/2/16

7	राधा देवी पति-सुनील कुमार गुप्ता ग्राम+पो0-बहादुरपुर थाना-गोविन्दगंज जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
8	मंजु देवी पति-बिरेन्द्र कुमार पटेल ग्राम-बाईपास रोड बाहरी धवलपुरा, पो0-बेगमपुर थाना-बाइपास जिला-पटना	हड्डी रोग	₹ 50,000 /-( पचास हजार) स्वीकृत।
9	सुधा देवी पति-स्व. रंजीत कुमार सिंह ग्राम-रतनपुर केवल पो0-कटेसर, थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 48,000 /-( अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
10	फहद हुसैन पिता-जलालउद्दीन ग्राम-खानकाह कोहन सराय पो0-बिहार शरीफ थाना-लहेरी, जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
11	सुनील कुमार सिंह पिता-स्व.कपिलदेव नारायण सिंह ग्राम+पो0-छीतरौली थाना महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 12,83,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,83,000 / ( बारह लाख तेरासी हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 509120.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

21/11/20

विश्वासभाजन

ह० / -

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० SD9120 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन )

ज्ञापांक

- 115 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धनेश महतो पिता-जगदेव महतो ग्राम-बाल बंगरा टोला रामचन्द्रपुर पो०-महराजगंज थाना-दरौंदा जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	कपिलदेव साव पिता-स्व. रामचन्द्र साव ग्राम-रघुरामपुर पो०-चांदमारी थाना-साहपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
3	संगीता देवी पति-प्रदीप राम ग्राम-एकतीया पो०-सुघरी थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
4	कृष्णा मांझी पिता-श्री राज देव मांझी ग्राम-उज्जैन लोहियार पो०-गायघाट थाना-हरिसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
5	मालती देवी पति-स्व० उमा शंकर प्रसाद ग्राम-भगवानपुर पो०+थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।

30/1/16  
1/2/16

6	राम देव शर्मा पिता-स्व. शिवन शर्मा ग्राम-बोडवा पो0-खगरा थाना-परवता जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
7	नागवंती देवी पति-पुरषोतम दिसवाह ग्राम-हस्ती बैरिया पो0-सेरवा मस्जिदवा थाना-मटीयरीया जिला-पो चम्पारण	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
8	सावित्री साहा पति-स्व. नन्द किशोर प्र० साहा ग्राम-बलुआही पो0-थाना+जिला-खगड़िया	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			₹ 7,65,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,65,000/- ( सात लाख पैंसठ हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 501123.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

*(Handwritten Signature)*

विश्वासभाजन  
ह०/-  
( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)



ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509123 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 112 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. कृष्णा

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.1.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम प्रवेश सिंह पिता-स्व. समरू सिंह ग्राम-पो०-बिदौली थाना-भगवानगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	मनोज राय पिता-रामजी राय ग्राम-देवाई पट्टी पो०-बरबट्टा थाना-सराय रंजन जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- ( दो लाख ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509119 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...579119...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 124 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 20.01.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विशाल कुमार पिता-सुरेन्द्र राय ग्राम-रायपुर बिन्दगामा पो०-कोटवा पट्टी, रामपुर थाना-डोरीगंज जिला-सारण सी.आरनं०-56144/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	अनामिका कुमारी पिता-हरेन्द्र सिंह ग्राम-मथुराचक पो०-मथुरा, थाना-विदुपुर जिला-वैशाली सी.आरनं०-157129/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	राम लगन महतो पिता-नन्द लाल महतो ग्राम-औंटा हीस्सातर पो०-औंटा थाना-हाथीदह जिला-पटना सी.आरनं०-153019/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	राहुल कुमार पिता-हरेन्द्र कुमार ग्राम-गोठहुला पो०-करवा, थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर सी.आरनं०-142944/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

3/1/16  
1/2/16

5	देवराम महतो पिता-स्व. मनोगी महतो ग्राम-महम्मदपुर बरैय टोला पो0-अलीनगर थाना-सूर्यगढ़ा जिला-लखीसराय सी.आरनं0-49567 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
6	कलावती देवी पति-मुलचन्द्र मिस्त्री ग्राम-सीमरा पो0-परसा बाजार थाना परसा जिला-पटना सी.आरनं0-98686 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
7	पार्वती देवी पति-राम दयाल मिस्त्री ग्राम-मंगल तालाब दिरापर पटना सिटी, पो0-बेगमपुर थाना-चौक जिला-पटना सी.आरनं0-135273 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
8	सदरूल हक पिता-आरीफ हुसैन ग्राम-गोन्धरा कसवा टोली पो0-गांजन थाना-बरसोई जिला-कटिहार सी.आरनं0-140708 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
9	गीता देवी पति-सहदेव साह ग्राम-मोहीपट्टी पो0-मलाढ थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सी.आरनं0-111980 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
10	भीखु साह पिता-किशनु साह ग्राम-मोहारी पो0-कमरौली थाना तरीयानी, जिला-शिवहर सी.आरनं0-342 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
11	राम कुमार चौधरी (सेवा नि० कनीय अभियंता) जल संसाधन विभाग पिता-उमाकान्त चौधरी मो०-आदर्श नगर पो०+जिला-समस्तीपुर सी.आरनं०-120273 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

12	मो० तसलीम पिता—इदु हुसैन ग्राम—देवरी सेठा पो०—थाना—देवरीया जिला—मुजफ्फरपुर सी.आरनं०—137822 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।
13	मो० मोहीउद्दीन पिता—स्व. हाजी मोहम्मद यासीन ग्राम—बलहा विश्वनाथ पो०—रजवाड़ा थाना—खानपुर जिला—समस्तीपुर सी.आर.नं०—430 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।
14	राम कृपाल साह पिता—स्व. लक्ष्मी साह ग्राम—महासेठी मोहल्ला पो०—भौवारा थाना+जिला—मधुबनी सी.आरनं०—17419 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।
15	बलराम सिंह पिता—स्व. तेज नारायण सिंह ग्राम—आदर्श ग्राम, कोल्हुआ पैगम्बरपुर, रोड नं०—1 पो०—प्रधान डाकघर थाना—अहियापुर जिला—मुजफ्फरपुर सी.आर नं०—138702 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।
16	गिरजा देवी पति—श्री प्रसाद पासवान ग्राम—पो०—तुलापट्टी थाना—पीपरा जिला—सुपौल सी.आरनं०—147258 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।
17	नन्द किशोर यादव पिता—स्व. जोधी यादव ग्राम—अस्नी पो०—सहदेव खाप थाना—मगध वि० वि०, बोधगया जिला—गया सी.आरनं०—130504 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।
18	प्रिस कुमार पिता—योगेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम—गांधीपुर पो०—थाना—बरियारपुर जिला—मुंगेर सी.आरनं०—47937 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत ।

19	नसीमा खातुन पति-इसराफील ग्राम-कुमारपुर पो0-रीफातपुर थाना-ईसीपुर बाराहात जिला-भागलपर पंजी/ओ.पीडी/065555/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
20	राम कुमार प्रसाद पिता-स्व. सहदेव प्रसाद ग्राम-सहोरा पो0-आनन्दपुर थाना-अशोक पेपर मिल (हाथाघाट) जिला-दरभंगा सी.आरनं0-147001/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
21	भीखारी ठाकुर पिता-कमल ठाकुर ग्राम-गाजीपुर पो0-डुमरी कटसरी थाना-श्यामपुर भटहा जिला-शिवहर सी.आरनं0-154328/15	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
22	राधा देवी पति-रामप्रीत यादव ग्राम-दामोदरपुर पो0-सुरौली थाना विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-159212/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
23	सुरुची शर्मा पति-दयानन्द कुमार शर्मा ग्राम-माधोपुर पो0-वासुदेवपुर थाना-कोतवाली जिला-मुंगेर सी.आरनं0-157957/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
24	तसरीफन खातुन पति-आस मोहम्मद ग्राम-लोहजीरा पो0-थाना-मांझागढ़ जिला-गोपालगंज सी.आरनं0-158112/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
25	राम प्रकाश मेहता पिता-स्व. जगदीश महतो ग्राम-महेशपुर पो0+थाना-पीरी बाजार जिला-लखीसराय सी.आरनं0-106918/15	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

26	विनय कुमार मिश्र पिता—स्व. शिव प्रसन्न मिश्र ग्राम—मिल्की (सुअरा) पो0—नोआंव थाना—सूर्यपुरा जिला—रोहतास सी.आरनं0—ई. 246 / 16	ब्रेन रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
27	सिनेहीया देवी पति—बिजली सहनी ग्राम—पो0—रायपुर थाना—नानपुर जिला—सीतामढ़ी पंजी / ओपीडी0 / 125271 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /—(चालीस हजार) स्वीकृत।
28	दीनानाथ चौधरी पिता—कैलाश चौधरी ग्राम—आनन्दपुर पो0+थाना—सोनपुर जिला—सारण सी.आरनं0—102565 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
29	सहरू बेगम पति—मो0 अहमद अंसारी ग्राम—चंपापुर पो0—घोसवरी थाना—बख्तियारपुर जिला—पटना सी.आरनं0—20555 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
30	रापपती देवी पति—राज करन सिंह ग्राम—फतेहपुर पो0+थाना—राघोपुर जिला—वैशाली सी.आरनं0—146392 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 /—(पचास हजार) स्वीकृत।
31	परमेश्वर मंडल पिता—स्व. राम स्वरूप मंडल ग्राम—राम बेरई पो0—अतिहर थाना—सदर जिला—दरभंगा सी.आरनं0—161007 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
32	रूपेस कुमार पिता—युगल रविदास ग्राम—बभनौली पो0—कोशला थाना—नारदीगंज जिला—नवादा सी.आरनं0—143369 / 15	यूरीन रोग	₹ 30,000 /—(तीस हजार) स्वीकृत।

श्री 1/1/15  
11/2/11.



33	कुमारी किरण पति-विरेन्द्र पंडित ग्राम-नया गांव बरियारपुर पो0-तैयबपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली सी.आरनं0-157796 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
34	सुमीत देवी पति-सरयुग मालाकार ग्राम-पो0-तुलसीपुर थाना-खरीक जिला-भागलपुर सी.आरनं0-153601 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
35	रेणु सिन्हा पति-सुधीर कुमार सिन्हा ग्राम-आदर्श कोलनी रोड नं0-3 खेमनीचक पटना 27 पो0-न्यु जगनपुरा थाना-रामकृष्ण नगर जिला-पटना सी.आरनं0- 120008 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
36	बुन्दी प्रसाद पिता-स्व. नारायण महतो ग्राम-सोहजना पो0-सुहावनपुर सुढी थाना-इस्लामपुर जिला-नालंदा सी.आरनं0-133490 / 15	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
37	श्रवण कुमार मंडल पिता-स्व. मोती लाल मंडल ग्राम-इटाही पो0-हलधरा हाट थाना-कुरसा कांटा जिला-अररिया ओ.पी.डीनं0-133311 / 15	किडनी रोग	₹ 30,000 /-(तीस हजार) स्वीकृत।
38	शान्ति देवी पति-राजेन्द्र प्रसाद साह ग्राम+पो0+थाना-कुनौली जिला-सुपौल सी.आरनं0-92217 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 23,05,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 23,05,000 /-( तेइस लाख पांच हजार )मात्र का क्रास चेक सं० 509191.....  
.....मूल रूप में संलग्न है।

*Handwritten signature and date*  
11/2/11

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन


ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 117 (14)

पटना, दिनांक - 3-2-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/2/16